

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

शहबीर मोहम्मद बनाम मोहन

वाही अन्तर्गत

128 PRAJEE

मुकदमा

जापत्र

नं.

254

सन्

2020

(2020/00480)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>11/10/2024</p> <p>2020 00480</p>	<p>पञ्चमली प्रशासन गाँवों के संगे अक्टूबर 2024 के तहत गाँवों नारेला पर आयोजित सिवी में तलब करने पर पेश हुई। इसके पञ्चमली का अवलोकन किया। ग्रामी गाँव नगरी स्थित रूपती खोटेवारी अरबी खजाना 281, 282, 595, 599 कीता 4 कुल रकब 1.00 है। भूमि की पत्थरगदी काला चाहता है पञ्चमली में शोलाग मम्मल जमाखुदी लगत 2068-2071 इनुफा अंत आराजीमात अरबी के नाम खोटेवारी एक से रजि है। अतः अरबी द्वारा प्रस्तुत पत्रिका का अन्तर्गत धारा 128 PRAJEE प्रीका किताबका अरबी की गाँव नगरी स्थित आ.नं. 281, 282, 595, 599 कीता 4 कुल रकब 1.00 है। अरबी भूमि की बिना किसी के कब्जे में रखलगाजी फिर पेटलमेन्ट गमशे इनुफा पत्थरगदी फिर जाने के आदेश दिए जाते हैं। शुल्क 10000000 रुपए अरबी एक हजार रुपए अरबी वहन करेगा/पालिका की लिखित सूचना देकर निधमागुफा पत्थरगदी की जाके एवं पालिका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। पञ्चमली केवल शुमात होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(श्याम सुन्दर विजवाड़े)
स्वायत्त कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)